

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
चतुर्थ तल, ब्लॉक - 2, सेक्टर 10-ए,
कर्मयोगी भवन, गांधीनगर (गुजरात)
ई-मेल: gandhinagar.ibm@gmail.com
संख्या : गुज/जाम/चूना-063



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
4th Floor, Block-2, Sector 10-A,
Karmyogi Bhawan, Gandhinagar (Gujarat)

दिनांक : 11.06.2018

प्रेषित : Smt. Bhavnaben Rajendrabhai Trivedi
177, K.P. Shah Wadi, Rameshwar Nagar
Navagham Ghed, Jamnagar, Gujarat
e-mail : varvalamines@gmail.com

विषय : गुजरात राज्य के जिले देव भूमि द्वारका, तालुका ओखा मण्डल, निकट ग्राम वरवाडा में स्थित आपकी वरवाडा चूनापत्थर खान क्षेत्रफल 25.00 हैक्टेयर (सर्वे नं. 76/पी) हेतु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन। (MINE CODE 38GUJ02089)

महोदय,

डॉ. एन. के. माथुर, सहायक खनन भूवैज्ञानिक द्वारा आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 21.04.2018 को किये गये निरीक्षण में पाया गया था कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
45(5)(b) & 45(5)(c)	<p>The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner.</p> <p>(b) A monthly return which shall be submitted before the 10th day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</p> <p><i>In your case, you have not submitted the online monthly returns from January 2013 onwards to till date to this office till. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</i></p> <p>(c) An annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.</p> <p><i>In your case, you have not submitted the online Annual returns from 2013-14 onwards to till date to this office till. Therefore, you are directed to submit aforesaid return in online system immediately through www.ibm.gov.in/index.php/auth/login.</i></p>
Rule55(1)(c) (i)	<p>A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying out mining operations in accordance with these rules.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।

03. इसके अतिरिक्त नियम 45(5)(b) व 45(5)(c) की पालना नहीं होने पर नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खान की सभी संक्रियाएँ बंद करने/ आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है/खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारीश भी राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(एस.एम.गिरहे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
2. कमिश्नर, भू-विज्ञान एवं खान विभाग, गुजरात सरकार, ब्लोक-1, 7-फ्लॉर, उद्योग भवन, गांधीनगर।
3. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो